निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख 1932 (श0)

(सं0 पटना 323) पटना, वृहस्पतिवार, 13 मई 2010

सं0 2/यो0-5019/2005—34

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

6 जनवरी 2010

विषय:—''बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो'' के गठन एवं उसके स्मरण लेख तथा नियमावली की स्वीकृति।

पिछले दो दशकों में आर्थिक वैश्वीकरण एवं वित्तीय उदारता की नीति अपनाये जाने के फलस्वरूप नियोजन बाजार में अत्याधिक नियोजन अवसरों का सृजन हुआ है । फलत: नियोजन बाजार की सीमा राष्ट्रीय सीमा को लाँघकर अन्तर्राष्ट्रीय हो गयी है । विकसित देशों में उपलब्ध कुशल कामगारों की बढ़ी आयु के कारण समतुल्य कौशल प्राप्त युवा कर्मियों के लिए समुद्रपार नियोजन बाजार में नौकरी के पर्याप्त अवसर है जिसमें दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है । बिहार राज्य में भी युवा एवं कौशल प्राप्त कर्मियों की संख्या काफी है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन बाजार के उपर्युक्त स्थिति का लाभ आगामी वर्षो में प्राप्त हो सकता है । इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण स्तर पर ''बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो '' के गठन की स्वीकृति दी जाती है।

(2) बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो की स्थापना से बिहार राज्य के कुशल कामगारों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नौकरी का अवसर ढूँढ़ने में पर्याप्त मदद मिलेगी । साथ ही इस ब्यूरो के माध्यम से समुद्रपार देशों में नियोजन पाने वाले युवाओं के कौशल को धारदार बनाने तथा जिस देश में वे रोजगार पाने वाले हैं, उस देश के आचार एवं शिष्टाचार विकास हेतु प्रशिक्षण का प्रबंध किया जा सकेगा।

(3) ब्यूरो के माध्यम से समुद्रपार देशों में आवास करने वाले भारतीयों या अन्य वित्तीय संस्थानों से भारत में परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उगाहने में मदद मिल सकेगी ।

(4) ब्यूरो एक स्वायत्त शासी निकाय होगा जो अपने क्रिया-कलापों को पूरा करने के उद्देश्य से स्वयं विस्तृत योजना एवं कार्यक्रम बनायेगा तथा इसका संचालन, प्रबंधन एवं प्रशासन उक्त नियमावली के अनुकूल होगा। ब्यूरो सोसायटी अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होने के बाद अपना काम करना प्रारंभ कर देगा।

(5) बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के अध्यक्ष माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

(6) बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत 2.50 लाख का उपबंध उपलब्ध है जिसे तत्काल ब्यूरो के स्थापना एवं कार्यान्वयन संबंधी व्यय पर खर्च किया जा सकेगा । ब्यूरो के कार्य प्रारंभ करने के उपरान्त निधि के स्त्रोतों आगामी दिनों में होने वाले व्यय के संबंध में प्राक्कलन तथा नीति निर्देश संबंधी निर्णय स्वयं ब्यूरो तय करेगा।

(7) तत्काल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में उपलब्ध उपबंध मुख्य शीर्ष-2230-श्रम एवं रोजगार, उप-मुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवायें, लघु शीर्ष-101-रोजगार सेवायें, उप शीर्ष-0101-नियोजन सेवा का विस्तार विपत्र कोड-पी0-2230021010101 मांग संख्या 26 के अन्तर्गत विकलनीय होगा । बाद में कार्य प्रारंभ करने के बाद ब्यूरो निधि के संबंध में स्वयं निर्णय लेगा। तदनुकूल बजट शीर्ष आवंटित होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
व्यास जी,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 323-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in